भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 76

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

विशाखापत्तनम में औद्योगिक सुरक्षा और श्रम कानून का अनुपालन

†**76. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम जिले के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गई औद्योगिक दुर्घटनाओं, मृत और गंभीर रूप से चोटिल श्रमिकों की संख्या का वर्ष-वार, प्रतिष्ठान-वार, स्थायी श्रमिक तथा संविदा श्रमिक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रतिष्ठानों में कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), मुख्य श्रम आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या के साथ-साथ पाई गई कमियों/उल्लंघनों, जारी किए गए नोटिसों, शुरू किए गए अभियोजनों और लगाए गए जुर्माने की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) ऐसे निरीक्षणों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) या अन्य वैधानिक कल्याणकारी प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किए गए श्रमिकों की संख्या का प्रतिष्ठान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम जिले में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान किए गए मुआवजे की राशि और लंबित मुआवजा दावों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं तथा उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो 21.11.2025 को प्रवृत्त हुई है। कैलेंडर वर्ष 2022 से 2026 (30.06.2026 तक) के दौरान विशाखापत्तनम जिले में केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मामले में औद्योगिक दुर्घटनाओं, मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या का विवरण संलग्नक I पर है।

जारी/2--

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) को अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीओएसएच) के रूप में जाना जाता है। उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीओएसएच) को कारखानों में निरीक्षण करने का अधिदेश नहीं दिया गया है। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कैलेंडर वर्ष 2022 से 2026 (30.06.2026 तक) के दौरान उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संबंध में किए गए निरीक्षणों, पाए गए उल्लंघनों, जारी किए गए नोटिसों, शुरू किए गए मुकदमों और लगाए गए जुर्मानों की संख्या का विवरण **संलग्नक II** पर है। निरीक्षण के दौरान, सभी कामगार ईएसआई योजना और ईपीएफ योजना के अंतर्गत कवर पाए गए।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस) 2020 को भी अधिनियमित किया है जो 21.11.2025 से प्रभावी हो चुकी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार मुआवजे से जुड़े मामलों का निपटारा राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के स्तर पर किया जाता है।

**

संलग्नक ।

"विशाखापत्तनम में औद्योगिक सुरक्षा और श्रम कानून का अनुपालन" के संबंध में श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

कैलेंडर वर्ष 2022 से 2026 (30.06.2026 तक) के दौरान विशाखापत्तनम जिले में केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मामले में औद्योगिक दुर्घटनाओं, मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या

वर्ष	प्रतिष्ठान का नाम	औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या	श्रमिकों की संख्या	
			मृत्यु	चोट
2022	---	0	0	0
2023	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	3	1	0
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विशाखापत्तनम		1	1
	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, विशाखापत्तनम		2	0
2024	लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन, विशाखापत्तनम	2	1	0
	रेल विकास निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम		1	1
2025	---	0	0	0
2026	सेमिंडिया	2	1	0
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड		10	4

संलग्नक II

"विशाखापत्तनम में औद्योगिक सुरक्षा और श्रम कानून का अनुपालन" के संबंध में श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

<u>कैलेंडर वर्ष 2022 से 2026 (30.06.2026 तक) के दौरान विशाखापत्तनम जिले के प्रतिष्ठानों में निरीक्षणों, उल्लंघनों, नोटिसों, अभियोगों (मुकदमों) और जुर्मानों की संख्या</u>

	निरीक्षणों की संख्या	पाए गए उल्लंघनों की संख्या	जारी किए गए नोटिसों की संख्या	शुरू किए गए अभियोगों की संख्या	लगाए गए जुर्मानों की संख्या
सीएलसी	03	21	03	01	शून्य
ईपीएफओ	02	-	-	-	-
ईएसआईसी	07	-	07	-	-
